न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 320 / 2024

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

अनाम सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

––वादी

बनाम्

1. राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. सुमनदीप कौर पुत्री राजवीर सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा संगरिया (विलोपित)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री कैलाश सिंवल–वकील वादीगण
2. श्री परविन्द्र सिंह –वकील प्रति.सं.1ता2

निर्णय

दिनांक :– 13.8.24

वादी अनाम सिंह ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बावत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 18.06.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 20 एएमपी के खाता सं. 106 / 41 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में 4.934 है. तथा इसी चक के खाता सं. 128 / 3 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.329 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा में वादी को धक 20 एएमपी के खाता सं. 128 / 3 में 1.329 है. तथा इसी चक के खाता सं. 106 / 41 में 0.189 है कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादी उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 2 [illegible] प्रतिवादी सं. 2 ने वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपने [illegible] का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को व.हि.व. कर दिया है [illegible] चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं [illegible] प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार [illegible] एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की कुल भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

चक 20 एएमपी के खाता सं. 128 / 3 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120 / 155	8	3 / 0.253 है., 4 / 0.253 है., 5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0 025है. गै.मु.खाला, 7 / 1 / 0.064, 8 / 0.253

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

121/155	7	3/1/0.228है, 3/2/0.025 है. गै.गु.खाला
		कुलः– 1.329 है. मय गै.मु.

चक 20 एएमपी के 2070–2073 खाता सं. 106/41 जमाबन्दी सम्वत्

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/154	3	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता,
		3/1/0.228, 3/2/0.025. गै.मु. रास्ता,
		4/1/0.228, 4/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता,
		5/1/0.228, 5/2/0.025 है. गै मु रास्ता,

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
		9/0.253 है.।
121/154	4	16 ता 18/0.253है.प्र., 23ता 25/0.253 है.प्र.
122/154	5	16/4/0.051 है, 16/7/0.009 है. गै.मु.रास्ता,
		17/2/0.0768., 18/1/0.244 है., 19 ता
		24/0.253 है.प्र.
122/155	6	1/0.2538.
		कुलः– 4.934 है. मय गै.गु.

वादी के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि निम्न प्रकार से है :–
चक 20 एएमपी के खाता सं. 128/3 जगाबन्दी सम्वत् 2070–2073

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/155	8	3/0.253, 4/0.253, 5/1/0.228 है.
		5/2/0.025 है, गै.गु. खाला, 7/1/0.0642.
		18/0.253

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/155	7	3/1/0.2288, 3/2/0.025 है. गै. मु.खाला
		कुलः– 1.329 है. मय गै.मु.

चक 20 एएमपी के खाता सं. 106/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
122/155	6	1/0.1898.

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मौका पर वादी के कब्जा काश्त में है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पड रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य मौखिक घरू विभाजन हो गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर काफी समय से काबिज होकर शान्तिपूर्वक ढंग से काश्त कर रहे है, लेकिन वादी के हक व हिस्सा की उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कब्जाकाश्त अनुसार दर्ज नही होने के [illegible] की बारी व कृषि भूमि ऋण आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही [illegible] ने कई बार प्रतिवादी सं. 1 व 2 से निवेदन किया कि उक्त [illegible] का खातेदार [illegible] घोषित करवाकर वादी का खाता अलग से कायम करवा [illegible] पर पहले तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 आजकल आजकल क[illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kur
Meena
Date: 2024.09.07 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. पेश कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम विलोपित करने का निवेदन किया, प्रतिवादी वकील द्वारा कोई आपत्ति नही करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दरस्तावेज चक 20 ए.एम.पी. खाता सं. 106/41 व इसी चक के खाता सं. 128/3 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 106/41 व इसी चक के खाता सं. 128/3 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में वादी के पिता का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का स्वीकारात्मक ज[illegible] हो चुका है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र में वर्णित आ[illegible] के तौर पर जमाबन्दी पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का स्वीकारात्मक जवाबदावा [illegible] के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित आराजी विरासतन सम्पति है जिस पर वादी का जन्म से ही हित एवं स्वत्व निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 128/3 में 1.329 है. कृषि भूमि का वादी अनाम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 106/41 में वादी को 0.189 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 4.934 है. में से घटाकर 4.745 है. किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 320 / 2024

अनाम सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––वादी

बनाम

1. राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुमनदीप कौर पुत्री राजवीर सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा संगरिया (विलोपित)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 13.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री परविन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 128 / 3 में 1.329 है. कृषि भूमि का वादी अनाम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 106 / 41 में वादी को 0.189 है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 4.934 है. मे से घटाकर 4.745 है. किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमे के मय सूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी [illegible] पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दि[illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:37:1
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया